

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य मद, अनुदान संख्या-070, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-3703/ यूपीनेडा-एसईपीवीपीपी-एसएसएल-बजट/2021-22, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना में चयनित राजस्व ग्रामों (मंजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह सौ लाख मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 375.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचहतर लाख मात्र) शासनादेश संख्या-683/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021, दिनांक 27 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 375.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचहतर लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-1049/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018 दिनांक 18-6-2018 उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। योजना पर किए जाने वाले व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 3- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 4- प्रस्तावित प्रायोजना की तकनीकी की स्वीकृति सक्षमस्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्यसे पूर्ण एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।
- 5- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-175/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 70 के अधीन लेखा शीर्षक-“2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0307-मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/ 2021/बी-1-175/दस-2021-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., प्रयागराज।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।